न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 29 / 2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024 / 41

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री श्रीपाल जैन पुत्र श्री कोदर जी जैन निवासी सदर बाजार पालेदा तह. गढ़ी, जिला बांसवाडा (विक्रेता / मालिक) मैसर्स– श्रीपाल जैन कोदर जैन किराणा स्टोर सदर बाजार पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज) फोन नं. 9413626711
2. श्री विवेक गोगरोत पुत्र श्री नटवर लाल गोगरोत (विक्रेता / मालिक) निवासी गामोठवाडा सागवाडा, डूंगरपुर मैसर्स– **Venus Agency, Gamothawara, Sagwara, Dungarpur Mob. No 7665486015**
3. (विक्रेता / मालिक) मैसर्स **Abhishek Traders, Near Shivam Agency, Fatehnagar, Udaipur Rajasthan Mob.No. 9460971413, 7568907536**
4. (नोमिनी) मैसर्स **Shree Bhagwati Flour & Food Private Limited, Survey No-430 Village Moraiya, Sarrkhej-Bavla, Highway Changodar, Ahmedabad 382213 Mob.No. 9574008405**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 03–09–2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.23 11:07:50 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] **मल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी [illegible] (राज.) के द्वारा दिनांक **01–03–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **02–03–2023** दौराने निरीक्षण 12.10 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जांच हेतु **मैसर्स– श्रीपाल जैन कोदर जैन किराणा स्टोर सदर बाजार पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा** पर

न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राज.)

पहुंचा तो वहाँ पर **श्री श्रीपाल जैन पुत्र श्री कोदर जी जैन** मिले, उन्होने बताया कि वह मालिक है। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स– श्रीपाल जैन कोदर जैन किराणा स्टोर सदर बाजार पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ **हल्दी पावडर (गाय छाप) के 40 पैकेट 500 ग्राम के रखे हुए थे। हल्दी पावडर (गाय छाप)** जिसमे गणवत्ता की कमी एवं मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **मिर्च पावडर (उपकार) के 4 पैकेट प्रत्येक 500 ग्राम** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत **360/– रु.** विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **हल्दी पावडर (गाय छाप) के 4 पैकेट प्रत्येक 500 ग्राम के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1317** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बॉसवाडा को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.23 11:07:50 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/204 दिनांक 29–03–2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य

खाद्य निर्णायक अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 225 दिनांक 13—03—2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **हल्दी पावडर (गाय छाप)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1317** Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता/मालिक को दी गई, नमूने की पुनः जाँच हेतु अपील नही की है।

फर्म के मालिक **श्री श्रीपाल जैन पुत्र श्री कोदर जी जैन निवासी सदर बाजार पालेदा तह. गढ़ी, जिला बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स— श्रीपाल जैन कोदर जैन किराणा स्टोर सदर बाजार पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज)** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **हल्दी पावडर (गाय छाप)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने **हल्दी पावडर (गाय छाप)** का अग्रिम माल खरीद बिल **मैसर्स— Venus Agency, Gamothawara, Sagwara, Dungarpur** का बिल प्रस्तुत किया। **मैसर्स— Venus Agency, Gamothawara, Sagwara, Dungarpur** से यह पत्र व्यवहार करने पर **Abhishek Traders, Near Shivam Agency, Fatehnagar, Udaipur** का बिल प्रस्तुत किया। **मैसर्स— Abhishek Traders, Near Shivam Agency, Fatehnagar, Udaipur** से यह पत्र व्यवहार करने पर **मैसर्स Shree Bhagwati Flour & Food Private Limited, Ahmedabad** का बिल प्रस्तुत किया। विक्रेता द्वारा **हल्दी पावडर (गाय छाप)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण अभियुक्त ने मिसब्राण्डेड **हल्दी पावडर (गाय छाप) का** विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा [illegible] का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित [illegible] किया।

प्रकरण दिनांक 05—03—2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.23 11:07:50 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक 03—09—2024 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने दिनांक 08.04.2024 व अप्रार्थी सं. 3 ने दिनांक 22.07.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त अपने पर लगे आरोप स्वीकार करते है अभियुक्त न्यायालय के आदेश को स्वीकार करने के लिये तैयार है। अप्रार्थी सं. 4 बावजुद सूचना अनुपस्थित है।

आरोपी की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। अप्रार्थी सं. 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/204 दिनांक 29—03—2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 225 दिनांक 13—03—2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **हल्दी पावडर (गाय छाप)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1317** Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत मिसब्राण्डेड पाया गया **हल्दी पावडर (गाय छाप)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम—2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री श्रीपाल जैन पुत्र श्री कोदर जी जैन निवासी सदर बाजार पालेदा तह. गढ़ी, जिला बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स— श्रीपाल जैन कोदर जैन किराणा स्टोर सदर बाजार पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज) को रूपये 2,000/— (अक्षरे दो हजार रुपया मात्र), श्री विवेक गोगरोत पुत्र श्री नटवर लाल गोगरोत (विक्रेता/मालिक) निवासी गामोठवाडा सागवाडा, डूगरपुर मैसर्स— Venus Agency, [illegible]hawara, Sagwara, Dungarpur** को रूपये 3,000/— (अक्षरे तीन हजार रुपया मात्र), मैसर्स **Abhishek Traders, Near Shivam Agency, Fatehnagar, Udaipur** को रूपये 3,000/— (अक्षरे तीन हजार रुपया मात्र), (नोमिनी) मैसर्स **Shree Bhagwati Flour & Food Private Limited, Survey No-430 Village Moraiya, Sarrkhej-Bavla,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.23 11:07:50 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Highway Changodar, Ahmedabad को रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 03–09–2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.23 11:07:50 IST
Reason: SelfAttested